

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.

अपर मुख्य सचिव

वित्त विभाग
बिहार सरकार



पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)

फैक्स : +91-612-2217694

ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०-एम-4-21/2021(खंड)-11012/वि०

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-24/11/2022

विषय:- वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु माह फरवरी एवं मार्च, 2023 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में समय-तालिका का निर्धारण।

महाशय,

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के दावों से संबंधित कोषागार में प्रस्तुत होने वाले विपत्र सही समय पर कोषागार में प्रस्तुत हो ताकि नियमानुसार जाँच होने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 के प्रावधानानुसार कोषागार से राशि की निकासी आवश्यक व्यय के आलोक में ही किया जाना चाहिए एवं अनावश्यक राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। यदि निकासी की गई राशि 31 मार्च, 2023 तक व्यय नहीं होने वाली है तो उसे 25 मार्च, 2023 तक कोषागार में नियमानुसार वापस जमा कराया जाना है।

ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में पूर्व के दावों से संबंधित बकाया विपत्र, अन्य आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों यथा फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों के सम्यक जाँच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयाँ होती हैं।

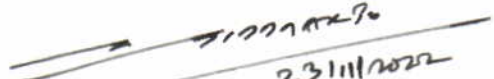
अतः चालू वित्तीय वर्ष (2022-2023) के अंतिम माहों में कोषागार में विपत्र उपस्थापित करने एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन किया जाना आवश्यक है:-

1. सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर दिनांक 20.03.2023 तक निम्नांकित समय-तालिका के अनुसार संबंधित कोषागार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न आकस्मिक व्यय मदों से संबंधित विपत्र दिनांक 20.03.2023 के पश्चात् प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे:-

क्रमांक	संबंधित विपत्र का अवधि	कोषागार में प्रस्तुत करने की समय-सीमा
1.	30 नवंबर, 2022 तक के सभी विपत्र	31 जनवरी, 2023 तक
2.	जनवरी, 2023 तक के सभी विपत्र	28 फरवरी, 2023 तक
3.	फरवरी, 2023 तक के सभी विपत्र	15 मार्च, 2023 तक
4.	विभिन्न व्यय मदों से संबंधित केवल 15 मार्च, 2023 तक के विपत्र	20 मार्च, 2023 तक

2. 20 मार्च, 2023 के बाद कोई विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित उक्त क्रमांक-1 एवं 2 में वर्णित/निर्धारित समय-सीमा निम्नलिखित विषय यथा:-आपदा से संबंधित व्यय/माननीय न्यायालय के आदेश/उच्च न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/जयघोष/कोविड-19 रोकथाम/मुख्यमंत्री सचिवालय/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निकासी कर SNA Account में स्थानांतरण/केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होंगे। अर्थात् ये सभी विपत्र चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 20.03.2023 के बाद भी कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे।

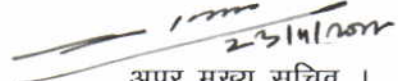
विश्वासभाजन


23/11/2022
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-एम-4-21/2021(खंड)-11012/वि०,

पटना-15, दिनांक-24/11/2022

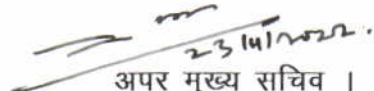
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


23/11/2022
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-एम-4-21/2021(खंड)-11012/वि०,

पटना-15, दिनांक-24/11/2022

प्रतिलिपि:- माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


23/11/2022
अपर मुख्य सचिव।